मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक दिनांक
28–09–2022 की कार्यवाही

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून की 104वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28–09–2022 में अधिकारियों की **उपस्थिति :–**

1.	श्री सुशील कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।	अध्यक्ष
2.	सुश्री सोनिका, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून।	उपाध्यक्ष / जिलाधिकारी
3.	श्री मनुज गोयल, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।	सदस्य
4.	श्री चिरंजी लाल, अनु सचिव, आवास विभाग।	(सचिव आवास के नामित प्रतिनिधि)
5.	श्री पूरन गिरि, अनु सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन,	(सचिव वित्त के नामित प्रतिनिधि)
6.	श्री एस0 एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड।	सदस्य
7.	श्री एच0सी0 जोशी, मुख्य अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून	सदस्य

अन्य उपस्थिति

1. श्री मोहन सिंह बर्निया, सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. श्री रजा अब्बास, संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. श्रीमती स्मृति खण्डूरी, मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
4. श्री एच0सी0एस0 राणा, अधीक्षण अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
5. श्री अजय माथुर, अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6. श्रीमती गीता खुल्वै, विशेषज्ञ समन्वयक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा अध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/आयुक्त गढ़वाल मण्डल को पुष्पगुच्छ प्रदान करते हुए स्वागत किया गया तथा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09–05–2022 में लिये गये निर्णय की अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसकी सर्व सम्मति से पुष्टि की गयी एवं प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 1 ISBT एच0आई0जी0 आवासीय योजना में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को आवंटित कार्यों Block C,D,E, F तथा G के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि एच0आई0जी0 आई0एस0बी0टी0 आवासीय योजना में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को आवंटित कार्यों **BlockC,D,E, F** तथा **G** के अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 150.33 करोड़ लागत स्वीकृत की गयी थी, निर्माण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 रू0 129.12 करोड़ को थर्ड पार्टी एवं चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट के द्वारा जाँचोंपरान्त रू0 127.08 करोड़ होती है, जिस हेतु उक्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 के सापेक्ष चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा की गणना पर निर्णय लिया जाना है।

उक्त आवासीय योजना हेतु ब्लॉक–ए, बी, जे, के तथा एच हेतु निर्माण एजेन्सी मै0 महालक्ष्मी बिल्डवेल इण्डिया प्रा0 लि0 को दिये गये कार्यों की स्वीकृत लागत रू0 46.62 करोड़ एवं अनुमानित जी0एस0टी0 लगभग रू0 3.00 करोड़ (जी0एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत योजना निर्माण लागत में जी0एस0टी0 12% के स्थान पर 18% प्रतिशत होने के कारण 06 प्रतिशत की वृद्धि) को सम्मिलित करते हुये वर्तमान में परियोजना की लागत रू0 150.33 करोड़ से बढ़कर आनुमानित लागत (रू0 127.08 करोड़ + रू0 46.62 करोड़ + रू0 3.00 करोड़) = रू0 176.7 करोड़ हो जाती है, जो कि लगभग 17.54 प्रतिशत अधिक है। कुछ Itemsकी Quantityमें घटोतरी/बढोतरी तथा जी0एस0टी0 के कारण वर्तमान में 17.54 प्रतिशत विचलन पर स्वीकृति एवं परियोजना के 05 ब्लॉक–C, D, E, F & G के अवशेष कार्यों को किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये अनुरोध पत्र, समयबद्ध कार्य 06 माह में पूर्ण किये जाने हेतु कार्य योजना, शपथ पत्र एवं रु0 10.00 करोड़ की धनराशि की मॉग हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा रू0 10.00 करोड़ की अग्रिम धनराशि के भुगतान हेतु असहमति व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि अग्रेत्तर कार्य के सापेक्ष ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। इस हेतु यदि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा सहमति दी जाती है तो उनसे इस विषय में शपथ पत्र एवं Construction Programme प्राप्त करते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

विषय क्रमांक 2 ISBT एच0आई0जी0 आवासीय परियोजना के ब्लॉक A,B,H,J&K के शेष कार्य हेतु मै0 महालक्ष्मी बिल्डवेल को जी0एस0टी0 की देयता के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान एच0आई0जी0 आई0एस0बी0टी0 आवासीय परियोजना हेतु फर्म M/s Mahalaxmi Buildwell India Pvt. Ltd. को अनुबंधित 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 के स्थान पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 तथा 1 प्रतिशत Labour Cess के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से विस्तृत विवरण सहित यथोचित दिशा–निर्देश हेतु प्रकरण आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 3 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0557/21–22 श्री आशीष चन्देल पुत्र श्री पी0बी0एस0 चन्देल खसरा नम्बर 330 मौजा केदारपुर परगना पछवादून देहरादून पर रेस्टोरेण्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 4 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0011/22–23 श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, श्रीमती जगदीश कौर पत्नी श्री परमजीत सिंह खसरा नम्बर 534मि0(ओ), 1032क, 1033मि0, 1034क(एन) मौजा झाझरा, परगना पछवादून देहरादून पर होटल भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 5 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0370/21–22 श्रीमती ललिता कपूर पुत्री श्री सी0एल0 कपूर एवं श्रीमती डोली बत्रा पत्नी श्री आर0के0 बत्रा खसरा नम्बर 7क मि0 एंव 8क मि0 ग्राम कुल्हान करनपुर परगना परवादून देहरादून पर सर्विस स्टेशन (रिटेल आउटलेट) निर्माण की स्थापना हेतु टी–जक्शन से दूरी के मानक में शिथिलता प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 6 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0187/22–23 श्रीमती दीप्ति सारश्वत पत्नी श्री हरिमोहन सारश्वत, खसरा नम्बर 7, 8क एंव 10 मौजा चक भगवन्तपुर परगना केन्द्रीयदून देहरादून में व्यवसायिक (होटल) भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0187/22–23 श्रीमती दीप्ति सारश्वत पत्नी श्री हरिमोहन सारश्वत, खसरा नम्बर 7, 8क एंव 10 मौजा चकभगवन्तपुर परगना केन्द्रीयदून देहरादून में व्यवसायिक (होटल) भवन निर्माण की स्वीकृति का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदत्त की गयी कि एफ0ए0आर0 एवं पार्किंग की गणना आवासीय विनियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

विषय क्रमांक 7 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0022/22–23 श्री इरशाद अली पुत्र श्री मोहम्मद सुल्तान खसरा नम्बर 430ग मौजा माजरा परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर प्रोफिशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 8 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0265/22–23 श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री एस0के0अग्रवाल, श्री सुमित अग्रवाल पुत्र श्री एस0के0अग्रवाल एंव श्रीमती सरोज अग्रवाल पत्नी श्री एस0के0अग्रवाल द्वारा मौजा कण्डोली परगना पछवादून देहरादून के खसरा नम्बर 164/1 में टूरिज्म यूनिट (हॉस्टल) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शिथिलीकरण से सम्बन्धित प्रकरणों में शिथिलीकरण की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शिथिलीकरण की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 9 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0032/22–23आरई–1 श्रीमती एकता सिंह चौपड़ा एंव श्री सुमित चौपडा पुत्र श्री जगजीत चौपड़ा खसरा नम्बर 764क मौजा सुद्वौवाला परगना पछवादून देहरादून पर प्रोफिशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 10 — मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0114/22–23 श्रीमती बन्दना नागपाल पत्नी श्री रमेश नागपाल खसरा नम्बर 668 (पुराना खसरा नम्बर 505मि0) मौजा देहराखास परगना पछवादून देहरादून पर प्रोफिशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 11:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0131/22–23 उत्तराखण्ड मेडिकल कांउसिंल द्वारा–डिप्टी रजिष्ट्रार डा0 डी0डी0 चौधरी खसरा नम्बर 4छ, 4खमि0 ग्राम गुजराडा मानसिंह परगना पछवादून देहरादून पर कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि महायोजना में प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग (सहस्रधारा रोड से) प्राईमरी रेजीडेन्सियल में निर्धारित है। परिक्षेत्रीय विनियमन 2005–25 (फुट हिल एरिया) के अनुसार रेजीडेन्सियल भू–उपयोग में प्रोफिशनल कार्यालय भवन (सार्वजनिक उपक्रम) निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य है। अतः सर्व सम्मति से मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0131/22–23 उत्तराखण्ड मेडिकल कांउसिंल द्वारा– डिप्टी रजिष्टार डा0 डी0डी0 चौधरी खसरा नम्बर 4छ, 4खमि0 ग्राम गुजराडा मानसिंह परगना पछवादून देहरादून पर कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि आस–पास के ट्रैफिक के सापेक्ष विनियमानुसार पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाये।

विषय क्रमांक 12:– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0071/22–23 श्री दुर्गा सिंह कन्याल पुत्र श्री मधु सिंह खसरा नम्बर 883 मौजा झाझरा परगना पछवादून देहरादून पर व्यवसायिक (वाणिज्यिक केन्द्र) भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 13 — मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0556/21–22आरई1 श्री आलोक कुमार चन्देल पुत्र श्री पी0बी0एस0 चन्देल खसरा नम्बर 330 मौजा केदारपुर परगना पछवादून देहरादून पर रेस्टोरेण्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 14 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0501/21–22 श्रीमती सुनीता राणा पत्नी श्री राजकुमार राणा, श्री शुभम राणा पुत्र श्री राजकुमार राणा, श्री राजकुमार राणा पुत्र श्री मंगतराम एंव श्री संदेश शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द्र शर्मा खसरा नम्बर 332, 333, 335, 336, 329, 330 मौजा भंगवानपुर जूलो परगना पछवादून देहरादून पर व्यवसायिक भवन (दुकानें) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से श्रीमती सुनीता राणा पत्नी श्री राजकुमार राणा, श्री शुभम राणा पुत्र श्री राजकुमार राणा, श्री राजकुमार राणा पुत्र श्री मंगतराम एंव श्री संदेश शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा आवेदित मानचित्र संख्या–सी–0501/21–22, खसरा नम्बर 332, 333, 335, 336, 329, 330 मौजा भंगवानपुर जूलो परगना पछवादून देहरादून पर व्यवसायिक भवन (दुकानें) निर्माण की स्वीकृति का अनुमोदन 5% इम्पैक्ट शुल्क सहित प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक 15 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0194/21–22आरई1 श्रीमती लक्ष्मी सिंह पुत्री श्री जसपाल सिंह राणा द्वारा खसरा नम्बर 671मि0 मौजा–छिद्दरवाला, परगना परवादून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 16 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0058/22–23 श्री उमेश सिंह पाठक एंव श्री केशव सिंह पाठक पुत्रगण श्री करतार सिंह पाठक सम्पत्ति संख्या 43 तिलक रोड, ऋषिकेश खसरा नम्बर 264मि0 परगना परवादून देहरादून पर व्यवसायिक/आवासीय निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी आवश्यक अनापत्तियों के प्राप्त होने के पश्चात मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0058/22–23 श्री उमेश सिंह पाठक एंव श्री केशव सिंह पाठक पुत्रगण श्री करतार सिंह पाठक सम्पत्ति संख्या 43 तिलक रोड, ऋषिकेश खसरा नम्बर 264मि0 परगना परवादून देहरादून पर व्यवसायिक/आवासीय (आवासीय में सिंगल यूनिट हेतु) निर्माण की स्वीकृति प्रदत्त की जाय।

विषय क्रमांक 17 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0222/22–23 मोहम्मद इरशाद श्री अनवर जमाल पुत्रगण श्री हुसैन अहमद खसरा नम्बर 616 (पुराना 554) मौजा माजरा परगना परवादून देहरादून पर व्यवसायिक भवन (प्रोफिशनल कार्यालय भवन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 18 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0150/22–23 श्री राजेश वालिया पुत्र स्व0 श्री रणजीत सिंह खसरा नम्बर 62ग, 63कमि0, 63खमि0 मौजा निरंजनपुर परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर व्यवसायिक निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान स्थल की विस्तृत रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 19 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0229/22–23 श्री शिव कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र, श्री अनुज गुप्ता पुत्र श्री शिव कुमार खसरा नम्बर 17, 18 एंव 19क (पुराना नम्बर 14/1) मौजा ब्राहमणवाला, परगना केन्द्रीयदून देहरादून पर होटल/व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 20 मानचित्र पत्रावली संख्या–एस0सी0–0022/22–23 श्री बीरेन्द्र सिंह सजवाण, श्री भगत सिंह सजवाण पुत्रगण श्री सोबन सिंह सजवाण खसरा नम्बर 60ख, 61मि0, 62, 62मि0,63, 63मि0, 64, 68ग मौजा धनौला परगना परवादून देहरादून पर व्यवसायिक (होटल) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 21 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0184/22–23 श्री अंशुल गुप्ता पुत्र श्री नरदेव गुप्ता, श्री मारकण्डे यादव पुत्र श्री नन्द किशोर यादव खसरा नम्बर 184क मि0 सहस्रधारा रोड मौजा अधोईवाला, परगना परवादून देहरादून पर व्यवसायिक (रेस्टोरेण्ट) भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 22 मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0215/22–23 श्री अजय मोहन सकलानी पुत्र स्व0 श्री फूलचन्द्र सकलानी, श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री फूलचन्द्र सकलानी खसरा नम्बर 214, 215, 223, 224 मौजा रामपुर भाऊवाला परगना पछवादून देहरादून पर व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये व तत्पश्चात ही मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0215/22–23 श्री अजय मोहन सकलानी पुत्र स्व0 श्री फूलचन्द्र सकलानी, श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री फूलचन्द्र सकलानी खसरा नम्बर 214, 215, 223, 224 मौजा रामपुर भाऊवाला परगना पछवादून देहरादून पर औचित्यों तथा पूर्ण रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 23 **मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0014/22–23 श्री रजत शर्मा पुत्र श्री सतानन्द, श्रीमती नवीता शर्मा पत्नी श्री रजत शर्मा खसरा नम्बर 640मि0 मौजा रानीपोखरी परगना परवादून देहरादून पर व्यवसायिक भवन (दुकानें) निर्माण की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में 90 प्रतिशत निर्माण ध्वस्त योग्य है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पहले ध्वस्तीकरण योग्य निर्माण को ध्वस्त किया जाये व तत्पश्चात ही प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 24 **मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0152/21–22आरई1 श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री कृपाल सिंह चौहान खसरा नम्बर 1512ग मि0 मौजा बड़कोट माफी परगना परवादून, जिला देहरादून पर व्यवसायिक /आवासीय निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सर्व सम्मति से श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री कृपाल सिंह चौहान द्वारा खसरा नम्बर 1512ग मि0 मौजा बड़कोट माफी परगना परवादून, जिला देहरादून में 5% इम्पैक्ट शुल्क के साथ आवेदित मानचित्र संख्या सी–0152/21–22आरई1 का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक 25 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0210/22–23 श्रीमती आशा अरोडा पत्नी स्व0 श्री हरिमोहन अरोडा, श्री अखिल अरोडा पुत्र स्व0 श्री हरिमोहन अरोडा, खसरा नम्बर 718क मि0 मौजा पौंधा, परगना पछवादून देहरादून में हॉस्टल भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 26 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0401/21–22 श्रीमती मीनू सिंह पत्नी श्री अजीत कैरो, श्री सतीश सिंह कैरो पुत्र श्री हरज्ञान सिंह कैरो खसरा नम्बर 54क (पुराना खसरा नम्बर–49मि0) मौजा सेंवलाकला, परगना पछवादून देहरादून पर व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 27 मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0086/22–23 श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री राकेश प्रसाद प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रभाकर भट्ट पुत्र श्री सत्यप्रकाश भट्ट खसरा नम्बर 278मि0. मौजा अठूरवाला परगना परवादून देहरादून पर व्यवसायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शिथिलीकरण से सम्बन्धित प्रकरणों में शिथिलीकरण की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शिथिलीकरण की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 28 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0सी0–0030/22–23 श्री अभिषेक गॉधी पुत्र श्री रमेश गॉधी द्वारा खसरा नम्बर 5518मि0 एंव 5522ग मौजा–बाबूगढ़ (नगर पालिका परिषद क्षेत्र), विकासनगर परगना पछवादून देहरादून में विद्यमान व्यवसायिक भवन निर्माण की प्रशमन/स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 29 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0–0201/22–23 श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री बलनाथ द्वारा खसरा नम्बर 5242मि0 मौजा–बाबूगढ़, विकासनगर परगना पछवादून देहरादून में प्रोफिशनल कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 30 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0261/22–23 श्री बीर सिंह पंवार पुत्र श्री भगवान सिंह पंवार एंव श्री बालकृष्ण काला पुत्र श्री गीताराम काला खसरा नम्बर 1930 मि0 मौजा अजबपुरकंला, परगना केन्दीयदून देहरादून में कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रंमाक 31 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0383/20–21 श्री गरीब शाह पुत्र श्री बशीर अहमद, श्री मोहम्मद बकार अहमद पुत्र गरीब शाह खसरा नम्बर 1127 मौजा जीवनगढ़ विकासनगर परगना पछवादून देहरादून में इण्डेन एल0पी0जी0 गैस स्टोरेज गोडाउन निर्माण की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

सर्व सम्मति से श्री गरीब शाह पुत्र श्री बशीर अहमद, श्री मोहम्मद बकार अहमद पुत्र गरीब शाह द्वारा खसरा नम्बर 1127 मौजा जीवनगढ़ विकासनगर परगना पछवादून देहरादून में इण्डेन एलपीजी गैस स्टोरेज गोडाउन के निर्माण की प्रशमन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत शमन मानचित्र संख्या सी–0383/20–21 की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदत्त किया गया।

विषय क्रमांक 32 **मानचित्र पत्रावली संख्या ओ0सी0–0052/22–23 श्री बिपिन चौधरी पुत्र श्री इकबाल सिंह नगर निगम सम्पत्ति संख्या 296/1, 296/3 गली नं0–7, राजेन्द्रनगर कौलागढ रोड (खसरा नम्बर 11मि. मौजा चायबाग कौलागढ) देहरादून में व्यवसायिक/गैस्ट हाउस निर्माण की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शिथिलीकरण से सम्बन्धित प्रकरणों में शिथिलीकरण की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि शिथिलीकरण की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 33 **मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0156/22–23आरई1 श्री धीरेन्द्र सिंह बिष्ट एंव श्री अरि सूदन चडडा नम्बर 788,789,790,791 एंव 792 मौजा रायवाला परगना परवादून ऋषिकेश देहरादून में फार्म हाउस निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्त आवश्यक अनापत्तियों के साथ प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 34 **मानचित्र पत्रावली संख्या–ओसी–0701/21–22 श्रीमती सुमन क्षेत्री पत्नी श्री युवराज सिंह द्वारा खसरा नम्बर 351मि0 मौजा–कोल्हूपानी परगना पछवादून देहरादून में हॉस्टल भवन निर्माण की प्रशमन स्वीकृतिके सम्बन्ध में ।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 35 — मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0057/22–23 श्रीमती कुलबिन्दर कौर पत्नी श्री बीरेन्द्र सिंह श्रीमती नवजोत कौर पत्नी श्री कुलदीप सिंह नगर पालिका सम्पत्ति संख्या 52/42 तिलक रोड, ऋषिकेश परगना परवादून देहरादून में व्यवसायिक एंव आवासीय निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 36 — मानचित्र पत्रावली संख्या–ओ0सी0–0079/22–23 श्री अचिन्त कुकरेजा पुत्र श्री गिरीश कुमार कुकरेजा खसरा नम्बर 372मि0 (नया खसरा नम्बर 354) ग्राम–कोल्हूपानी परगना पछवादून तहसील विकासनगर देहरादून पर विद्यमान एंव प्रस्तावित वाणिज्यिक केन्द्र भवन निर्माण की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 37 — **खसरा संख्या 232ख, 233क एवं 233ख, ग्राम सोडा सरोली, परगना परवादून जिला देहरादून स्थित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन कृषि से शैक्षणिक किये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शिथिलीकरण/भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में शासनादेशानुसार शिथिलीकरण/भू–उपयोग परिवर्तन की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 38 — **भूमि खसरा संख्या–118, 119, 120 कुल रकबा 0.5630 हैक्टयर ग्राम कक नावामयचक तलाई, परगना परवादून जिला देहरादून का भू–उपयोग कृषि से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में शासनादेशानुसार भू–उपयोग परिवर्तन की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 39 **ग्राम सलान गांव के भूमि खसरा नं0 191, 193, 194, 189–अ, 189–ब, कुल रकबा 0.4840 है0 भूमि का भू–उपयोग कृषि से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में शासनादेशानुसार भू–उपयोग परिवर्तन की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 40 **स्वीकृत/शमनित मानचित्रों के शुल्क जमा कराये जाने हेतु समयावधि निर्धारण के सम्बन्ध में।**

प्रकरण में विचार–विमर्श किया गया कि ऐसे प्रकरण कार्यालय स्तर पर ही देख लिये जाने चाहियें। बोर्ड को अवगत कराया गया कि पूर्व में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि एक माह में यदि कोई प्रस्तावित/शमन मानचित्रों में आरोपित शुल्क जमा नहीं करता है तो 15% ब्याज की दर से वूसली की जाये। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि शमन मानचित्रों के प्रकरण में यह व्यवस्था ठीक है, परन्तु आवेदित मानचित्रों में प्राधिकरण शुल्क जमा न होने पर मानचित्र निर्गत नहीं करता है तो ब्याज आरोपित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः विचार–विमर्श/निर्णय उपरांत इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक 41 **मौजा पौंधा के भूमि खसरा नं0 1082, 1284, 1285, 1286 कुल रकबा 0.5546 है0 भूमि का भू–उपयोग कृषि से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में ।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 42 **मौजा तरलानांगल में भूमि खसरा नं0 460, 461ख, 462क, 463, 464, 465क, 465ख, 466ख, 466क, 467क, 467ख कुल रकबा 0.9520 है0 भूमि का भू–उपयोग मनोरंजन से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 43 **मौजा तरलानागल में भूमि खसरा नं0 461क, 462ख, 462ग, 466ग, 449, 450क, 450ख, 451, 452 कुल रकबा 0.9190 है0 भूमि का भू–उपयोग मनोरंजन से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 44 **ग्राम भितरली निकट पुरकुल के क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास हेतु प्रथम समन्वित विद्यालय हेतु भूमि खसरा नं0 734, 735क कुल रकबा 3000.00 वर्ग मीटर का कृषि भूउपयोग से सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भूउपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में ।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण विवरण सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय क्रमांक 45 **ग्राम जाखन के भूमि खसरा नं0 1125क/450, 1125ख/450, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,क, 469ख, 470, 472क, 472ख, 472ग कुल रकबा 2.565 है0 भूमि का भू–उपयोग कैंटोनमेंट/अपरिभाषित भू–उपयोग का त्रुटि सुधार करने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 46 **श्रीमति पार्वती थपलियाल पत्नी श्री राम प्रसाद थपलियाल के आवासीय शमन मानचित्र संख्या ओ0आर0–2503/21–22 में शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में आरोपित धनराशि में छूट हेतु सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक 47 **प्राधिकरण के उपयोगार्थ 01 जे0सी0बी0 (डोजर) क्रय करने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्राधिकरण उपयोगार्थ एक जे0सी0बी0 क्रय करने का निर्णय लिया गया।

विषय कमांक 48 **मानचित्र पत्रावली संख्या सी–0245/22–23 (1) श्री मुनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामलाल शर्मा (2) श्रीमती शोभा शर्मा पत्नी श्री मुनेश कुमार शर्मा द्वारा– खसरा संख्या** 242 , 243 kha , 244, 245, 246, 247 , 248, 249, 250, 284 kha , 285, 286 ka , 287, 288, 289, एवं290 kaमि0कुल **भूखण्ड क्षेत्रफल 4890.00 वर्गमीटर (शुद्ध भूखण्ड क्षेत्रफल 4549.47 वर्गमीटर), मौजा कोटिमयचक, परगना परवादून जिला देहरादून में होटल बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि श्री मुनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामलाल शर्मा एवं श्रीमती शोभा शर्मा पत्नी श्री मुनेश कुमार शर्मा द्वारा कतिपय खसरा नम्बरों में होटल निर्माण हेतु आवेदित मानचित्र संख्या सी–0245/22–23 के सापेक्ष विशेषज्ञ समन्वयक (नियोजन) द्वारा यह परीक्षण कर लिया जाये कि प्रश्नगत स्थल एल0ए0पी0 टी0पी0एस0 के अन्तर्गत तो नहीं है, तत्पश्चात ही प्रश्नगत मानचित्र स्वीकृति पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

विषय कमांक 49 **शमनित मानचित्र (O.T.S.) पत्रावली संख्या–ओसी–0085/22–23 श्री सत्य नारायण अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल सम्पत्ति स्थित खसरा नम्बर 68/5 आदर्श ग्राम मौजा ऋषिकेश परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून पर होटल पारस प्लाजा बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय कमांक 50 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0289/22–23 श्री आवेश आडवानी, श्री विनय आडवानी पुत्र श्री गंगा राम आडवानी खसरा नम्बर 298(नगर पालिका सम्पत्ति संख्या–12) बीरभद्र मार्ग मौजा ऋषिकेश जिला देहरादून में होटल भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि वर्तमान तक शासनादेश संख्या 1995 दिनांक 29–11–2017 के अनुसार मानचित्र स्वीकृति/अस्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अतः सर्व सम्मति से प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि गंगा नदी में Flood Plain Zoning Act के अन्तर्गत प्रतिबन्ध जोन (25 वर्ष अवधि बाढ़ क्षेत्र) एवं निबन्धित जोन (100 वर्ष अवधि बाढ़ क्षेत्र) का निर्धारण सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया गया है, किन्तु आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अभी तक शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासन को पृथक से पत्र प्रेषित किया जाय।

विषय क्रमांक 51 **मानचित्र पत्रावली संख्या–ओ0सी0–0057/22–23 श्री प्रदीप कुमार,श्री अनूप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, श्रीमती शुभ किरन पत्नी श्री बलदेव सिंह एंव श्रीमती मधु ठाकुर पत्नी श्री सुरजीत ठाकुर द्वारा खसरा नम्बर 4801क, 4805, 4806ख मौजा–बाबूगढ़ विकासनगर परगना पछवादून देहरादून में व्यवसायिक भवन निर्माण की प्रशमन/स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जोनिंग रेगूलेशन में निर्देशित प्राविधानों के अनुमोदन हेतु ही प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। ओ0टी0एस0 सम्बन्धी प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न किये जायें।

विषय क्रमांक 52 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0213/22–23 श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री प्रेमचन्द खसरा नम्बर 334क मि0 (पुराना नम्बर 185)मौजा केदारपुर, परगना केन्दीयदून देहरादून में कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 53 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0217/22–23 श्री खुशला प्रसाद पुत्र श्री सुन्दर लाल, श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री खुशला प्रसाद खसरा नम्बर 333क मि0 मौजा केदारपुर, परगना केन्दीयदून देहरादून में व्यवसायिक (रेस्टोरेण्ट) भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 54 **मानचित्र पत्रावली संख्या–ओ0आर0–2074/21–22आरई1 श्रीमती उजमा वेगम पत्नी श्री अशरफ अली द्वारा खसरा नम्बर 698मि0 मौजा–बिधौली, परगना पछवादून देहरादून में मौके पर विद्यमान एकल आवासीय निर्माण (भूतल विद्यमान प्रथम तल प्रस्तावित) की प्रशमन/स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रकरण बोर्ड के स्तर का न होने के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अपने ही स्तर पर प्रकरण में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

विषय क्रमांक 55 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0003/21–22 श्री भारत शर्मा पुत्र श्री सुन्दर देव शर्मा निकट–पिक्चर पैलेस मसूरी, देहरादून पर निजी पार्किगं निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 56 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी सी–0057/21–22 श्री पवन आनन्द पुत्र स्व0 श्री राजकुमार आनन्द एंव श्रीमती दीप्ति आनन्द पत्नी श्री पवन आनन्द खसरा नम्बर 896 मौजा माजरा परगना केन्द्रीयदून देहरादून में विद्यमान व्यवसायिक निर्माण की प्रशमन/स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 57 **श्री विश्वास गर्ग पुत्र स्व0 श्री ओम प्रकाश गर्ग द्वारा ग्राम कॉवली परगना केन्द्रीयदून देहरादून के खसरा नम्बर 1488 क्षेत्रफल 306.57 वर्गमीटर में प्रस्तावित पेट्रोल फिलिंग हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शिथिलता दिये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में शासनादेशानुसार शिथिलता की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 58 **विकास प्राधिकरणों में अधीक्षण अभियन्ता को उच्चीकृत किये गये वेतनमान का लाभ अन्य विभागों की भॉति उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की तिथि दिनॉक 31अक्तूबर, 2017 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

सर्व सम्मति से आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1743/V-2/)2018–94(आ0)2013 दिनॉक 27 नवम्बर,2018 को प्राधिकरण बोर्ड में अंगीकृत करते हुए अन्य अभियंत्रण विभागों की भॉति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 220/xxvii(7)50(16)2014 टीसी दिनॉक 31अक्तूबर,2017 की तिथि से प्राधिकरण में लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 59 **मानचित्र पत्रावली संख्या–ओसी–0292/21–22 श्री स्टीफन इलायझा फुन्सोग पुत्र स्व0 श्री वाई0पी0फुन्सोग सम्पत्ति संख्या–3बी नया नम्बर 10/124 ढाकपट्टी वर्तमान नम्बर 589/जी.एफ–06 ढाकपट्टी राजपुर रोड देहरादून पर रेस्टोरेंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 60 **मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0127/22–23 ग्राफिक ईरा एज्यूकेशनल सोसाईटी द्वारा– सचिव, श्री कमल घनशाला पुत्र श्री रमेश चन्द्र घनशाला खसरा नम्बर 596, 597, 597मि0, 598, 599 600 एंव 600/1 मौजा भारूवाला ग्रान्ट परगना सेन्ट्रलदून, देहरादून पर शैक्षिक संस्थान भवन (एडिशन/अर्ल्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से विस्तृत प्रस्ताव औचित्यपूर्ण एवं अपरिहार्य कारणों का उल्लेख करते हुये आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 61 मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0095/22–23 उत्तराखण्ड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन (यू0टी0सी0) एंव मै0 गेल गैस लि0 (गेल गैस) द्वारा डी0जी0एम0 श्री मनीष गोयल खसरा नम्बर 72मि0, 73मि0, 74,75, 78 एंव 79 मौजा सेंवला खुर्द,परगना सेन्ट्रलदून देहरादून पर सी0एन0जी0 स्टेशन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शिथिलता दिये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में शासनादेशानुसार शिथिलता की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) सहित तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित प्रकरण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जाये।

विषय क्रमांक 62 मानचित्र पत्रावली संख्या–ओसी–0525/21–22 श्री अनिल कुमार शर्मा ,श्री सुनील कुमार पुत्रगण स्व0 श्री देवी लाल एवं श्रीमती सरवती देवी पत्नि स्व0 श्री देवी लाल द्वारा खसरा नम्बर 759 , 760, 761 ,762मिन व 763 मौजा बालावाला (गुलरघाटी बालावाला रोड) परगना परवादून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान प्रश्नगत प्रकरण का अनुमोदन प्रदत्त किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भविष्य में जोनिंग रेगूलेशन में निर्देशित प्राविधानों के अनुमोदन हेतु ही प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। ओ0टी0एस0 अथवा शमन सम्बन्धी प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न किये जायें।

विषय क्रमांक 63 **मानचित्र पत्रावली संख्या–एससी–0004/21–22 श्री राजेन्द्र प्रसाद नैनवाल उर्फ श्री रमेन्द्र प्रसाद नैनवाल पुत्र स्व0 सुरेशा नन्द नैनवाल, श्री मदन मोहन, श्री प्रभाकर, श्री दिवाकर एवं श्री रत्नाकर पुत्रगण स्व0 श्री पदम नाथ शास्त्री खसरा नम्बर 93, 99, 100,102,103 व 109 स्थित मौजा गुजराडा करनपुर परगना पछवादून जिला देहरादून में ईको रिजॉर्ट निर्माण हेतु विद्यमान सडक चौडाई में छूट के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शिथिलता दिये जाने सम्बन्धी प्रकरणों में शासनादेशानुसार शिथिलता की अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अपरिहार्यता तथा औचित्यपूर्ण प्रमाण पत्र सहित प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 64 **मानचित्र पत्रावली संख्या–ओसी–0096/22–23 श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री प्रेम सिंह भण्डारी पुत्रगण स्व0 श्री शिवराज सिंह भण्डारी, पुत्र खसरा नम्बर 1051/2 ग्राम–आर्केडियाग्रान्ट चक परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून में ईको रिजॉर्ट निर्माण की प्रशमन स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जोनिंग रेगूलेशन में निर्देशित प्राविधानों के अनुमोदन हेतु ही प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। ओ0टी0एस0 सम्बन्धी प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न किये जायें।

विषय कमांक 65 **मानचित्र पत्रावली संख्या–ओसी–0117/22–23 श्री आदित्य वशिष्ट, श्री अभिनव वशिष्ट पुत्र श्री दिनेश कुमार वशिष्ट,श्रीमती सरूना वशिष्ट पत्नीश्री दिनेश कुमार वशिष्ट खसरा नम्बर 21क एंव 21ख मौजा प्रतीतनगर रायवाला ऋषिकेश जिला देहरादून में ईको रिजॉर्ट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जोनिंग रेगूलेशन में निर्देशित प्राविधानों के अनुमोदन हेतु ही प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। ओ0टी0एस0 सम्बन्धी प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न किये जायें।

विषय कमांक 66 **मानचित्र पत्रावली संख्या–MAP/P/C/0625/22-23श्री आदित्य वशिष्ट, श्री अभिनव वशिष्ट पुत्र श्री दिनेश कुमार वशिष्ट, श्रीमती सरूना वशिष्ट पत्नी श्री दिनेश कुमार वशिष्ट खसरा नम्बर 21क एंव 21ख मौजा प्रतीतनगर रायवाला ऋषिकेश जिला देहरादून में होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जोनिंग रेगूलेशन में निर्देशित प्राविधानों के अनुमोदन हेतु ही प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। ओ0टी0एस0 सम्बन्धी प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत न किये जायें।

विषय कमांक 67 **मानचित्र पत्रावली संख्या ओसी–0721/2021–22 मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ दून (पीजी) कॉलेज आफ एग्रीकल्चर साइसेंज एण्ड टेक्नोलॉजी द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल एजूकेशन सोसाइटी, चेयरमैन श्री संजय चौधरी, स्थित खसरा संख्या 997 कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 4150.02 मौजा सेन्ट्रल होपटाउन वर्गमीटर, परगना पछवादून जिला देहरादून में शैक्षणिक संस्था के भू–उपयोग कृषि से सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 68 **देहरादून मेट्रो नियो परियोजना हेतु मौजा–माजरा में आई0एस0बी0टी0 देहरादून से लगती हुई एम0डी0डी0ए0 के स्वामित्व की भूमि बाजार मुल्य पर उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लि0को दिये जाने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की 95वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया, जिसमें प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चर्चा के उपरान्त निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की उक्त भूमि किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित न की जाय, तद्नसुार प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड मेट्रो रेल विभाग को सूचित कर दिया गया, किन्तु यदि वर्तमान समय में मेट्रो नियो परियोजना की उपयोगिता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत यदि प्राधिकरण के स्वामित्व की उक्त 14645.48 भूमि की नितान्त आवश्यकता है तो प्राधिकरण सम्पूर्ण भूमि को बाजारू प्रचलित मूल्य पर हस्तान्तरित करने हेतु सहमत है। तद्नुसार प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.07.2022 को अपर मुख्य सचिव आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन को सर्शत सहमति पत्र प्रेषित किया गया है।

विचार–विमर्श के दौरान निर्णय लिया गया कि मैट्रो को पत्र प्रेषित किया जाये कि उनकी न्यूनतम भूखण्ड की आवश्यकता क्या है। तद्नुसार इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ।

विषय क्रमांक 69 **मौजा घुम्मीपुरा गंगभेवा तहसील विकास नगर जिला देहरादून स्थिल भूमि खाता संख्या–01 खसरा नं0 153 मिन0, 153/2 मिन0, खाता संख्या–56 खसरा नं0 149, खाता संख्या–02 खसरा नं0 149 मिन0, खाता संख्या–48 खसरा नं0 153मिन0, खाता संख्या–43 खसरा नं0 153मि0, खाता संख्या–48 खसरा नं0 153मि0 कुल रकबा 0.6557 है0 का कृषि भू–उपयोग से सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भू–उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 70 **भूमि खसरा नं0 285क, 287क, 259ड, 287ख, 284ख, 256ग, 259ख, 284क, 285ख, 288, 281, 294ख, 295, 298ग, 289ख, कुल रकबा 0.9827 है0 मौजा सींगली परगना पछवादून जिला देहरादून का कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 71 **प्राधिकरण में प्रचलित/विकसित किये जा रहे ई0आर0पी0 सोल्यूसन (E-Office) के उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिरकण के Ease app application में विलय के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया जाये कि प्राधिकरण में प्रचलित/विकसित किये जा रहे ई0आर0पी0 सोल्यूसन (E- Office) को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिरकण के Ease app application में विलय के सम्बन्ध में उडा से एक बैठक भी आहूत की जाय तत्पश्चात विलय की औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जायें।

विषय क्रमांक 72 **श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता को प्राधिकरण के अन्य कर्मचारियों की भांति ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री देवेन्द्र सिंह को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाये।

विषय क्रमांक 73 **मसूरी विधान सभा के अर्न्तगत देहरादून क्षेत्र स्थित गढ़ी कैन्ट में सामुदायिक भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि मसूरी विधान सभा के अर्न्तगत देहरादून क्षेत्र स्थित गढ़ी कैन्ट में सामुदायिक भवन का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाये तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त सामुदायिक भवन के संचालन हेतु शासन से मार्ग दर्श प्राप्त कर लिया जाये।

विषय क्रमांक 74 **मौजा–चौकी तहसील विकासनगर परगना पछवादून में 9865 वर्गमीटर भूमि का भू–उपयोग कृषि से आवासीय में परिर्वतन किये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

विषय क्रमांक 75 **पटेल नगर देहरादून में पर्यटन विभाग की भूमि खसरा नं0 574 ग्राम देहराखास में औद्योगिक भू–उपयोग के जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमन्य होटल, कन्वेन्शन सेन्टर एवं जलपान गृह के उपयोग को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।**

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मानचित्र आवेदन होने के पश्चात जोनिंग रेगूलेशन में निहित प्राविधानों के अनुरूप आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अनुपूरक विषय कमांक 1 — मानचित्र पत्रावली संख्या–सी0सी0–0041/22–23 श्री रणजीत सिंह आहलूवालिया पुत्र श्री बारू सिंह द्वारा खसरा नम्बर 597एंव 598 मौजा–बद्रीपुर, परगना परवादून देहरादून में विद्यमान वैडिंग प्वाइंट निर्माण की प्रशमन/स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में कुछ निर्माण ध्वस्त योग्य है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पहले ध्वस्तीकरण योग्य निर्माण को ध्वस्त किया जाये व तत्पश्चात ही प्रकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक विषय कमांक 2 — मानचित्र पत्रावली संख्या **OC-0816/21-22** श्री आनन्द सिंह बोहरा व डॉ0 नीलम, ओल्ड खसरा नम्बर 200/2 न्यू खसरा नम्बर 749 एच0ए0 753 एवं 754 मकान नं0197 हरिद्वार रोड परगना सेन्टल दून देहरादून पर नर्सिंग होम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

अनुपूरक विषय कमांक 3 — देहरादून व मसूरी नगरों की जी0आई0एस0 आधारित महायोजना तैयार किये जाने सम्बन्धी कार्यो के अनुश्रवण हेतु गठित नियोजन प्रकोष्ठ की सेवा अवधि के विस्तारीकरण के सम्बन्ध में।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से देहरादून व मसूरी नगरों की जी0आई0एस0 आधारित महायोजना तैयार होने तक नियोजन प्रकोष्ठ की सेवा अवधि के विस्तारीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव के सापेक्ष उक्त अवधि दिसम्बर, 2022 तक बढ़ायी गयी।

अनुपूरक विषय कमांक 4 — मौजा बिधोली स्थित खसरा नम्बर 510क, 545क कुल क्षेत्रफल 5001.99 वर्ग मीटर भूमिको सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक भूउपयोग से आवासीय भू उपयोग में परिवर्तन केसम्बन्ध में ।

विचार–विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

अनुपूरक विषय कमांक 5 — ई0सी0रोड, आराघर चौक के समीप सेना की कैंटीन डिपो की भूमि को पार्किंग के उपयोग में लाये जाने हेतु प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

देहरादून शहर में पार्किंग की समस्या/आवश्यकता के दृष्टिगत ई0सी0रोड, आराघर चौक के समीप स्थित सेना के कैंटीन डिपो की भूमि को पार्किंग के उपयोग में लाये जाने हेतु प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने एंव इसके स्थान पर सेना को अन्यत्र भूमि उनके प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदत्त की गयी। इस हेतु एक समिति का गठन किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

1–	उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	अध्यक्ष
2–	नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून	सदस्य
3–	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य
4–	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।	सदस्य

उक्त समिति सेना को अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में भूमि चयन किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि उक्त भूमि का प्राधिकरण हेतु पार्किंग के अतिरिक्त अन्य क्या–क्या उपयोग हो सकता है।

अनुपूरक विषय क्रमांक 6 प्राधिकरण हेतु एक ट्रैफिक कंसलटेंट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि पूर्व में प्राधिकरण में एक ट्रैफिक कंसलटेंट नियुक्त था किन्तु उनकी नियुक्ति अन्यत्र विभाग में हो गयी है। विचार–विमर्श के दौरान बोर्ड को अवगत कराया गया कि ट्रैफिक कंसलटेंट एवं अरबन प्लानर के मासिक वेतन के निर्धारण हेतु शासन को प्रकरण पूर्व से ही सन्दर्भित है। विचार–विमर्श के उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व नियम/शर्तों के आधार पर प्राधिकरण हेतु एक ट्रैफिक कंसलटेंट एवं अरबन प्लानर शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्त कर लिया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गयी कि शमन/स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण जो कि जोनिंग रेगूलेशन के तहत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हों उन्हें जोनिंग रेगूलेशन की स्वीकृति हेतु ही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा जोनिंग रेगूलेशन से सम्बन्धित प्रस्तावों के सापेक्ष गूगल मैप तथा तत्सम्बन्धी मानचित्र भी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। उपरोक्त निर्देशों के साथ अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी मा0 सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(सोनिका) उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।	(सुशील कुमार) अध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।